विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	कृषि
तारांकित प्रश्न संख्या	:	4973
उत्तर की तिथि	:	09.03.2022
विषय	:	दमोठी सब्जी मण्डी मार्केट यार्ड
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री सुरेन्द्र शौरी (बन्जार)
सम्बन्धित मन्त्री	:	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे किः– (क) यह सत्य है कि बन्जार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत दमोठी में सब्जी मण्डी के मार्केट यार्ड के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका है; यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा; इसकी अद्यतन स्थिति सहित ब्यौरा दें; और	(क) तथा (ख) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) गत 3 वर्षों में दिनांक 01.02.2022 तक सरकार द्वारा इसके निर्माण हेतु क्या पग उठाए गए ?	

श्री सुरेन्द्र शौरी (बन्जार) द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं0 4973 से सम्बन्धित सूचना :–

(क) जी हाँ। दमोठी (बन्जार) में 0.68 हैक्टेयर भूमि के उपयोग हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा आदेश दिनांक 06.01.2022 के अंतर्गत जारी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। निर्माण कार्य आरम्भ करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में भूमि विकास हेतु ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 11.02.2022 को आमंत्रित कर दी गई है। दिनांक 03.03.2022 को तकनीकी निविदायें तथा 08.03.2022 को वित्तीय निविदायें खोली गई हैं। इसके उपरान्त समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने पर ही कार्य आबंटित किया जाना है ताकि उप मण्डी का निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।

(ख) वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक इस उप मण्डी के निर्माण से सम्बन्धित उठाए गए पगों का ब्यौरा निम्नप्रकार हैः

(1) दिनांक 7.11.2018 को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत दमोठी (बंजार) में 0.68 हैक्टेयर वन भूमि उप मण्डी के निर्माण के लिए अपयोजन (diversion) का मामला सम्बन्धित नोडल अधिकारी एवं मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), वन विभाग, शिमला द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून ऑनलाईन प्रेषित किया गया। इस प्रस्ताव को दिनांक 25.07.2019 को सब्जी मण्डी हेतु वन क्षेत्र का उपयोजन उचित न पाते हुए अस्वीकृत किया गया।

(2) दिनांक 09.08.2019 को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू द्वारा नोडल अधिकारी एवं मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), वन विभाग, हि0 प्र0 शिमला से प्रस्तावित भूमि के अपयोजन हेतु अनुरोध किया गया जिस पर उक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 29.08.2019 को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून से मामले में पुनः विचार करने का अनुरोध किया गया।

(3) प्रस्तावित भूमि के अपयोजन हेतु दिनांक 11.09.2020 को सम्बन्धित विभाग द्वारा सैद्धांतिक और अंतिम स्वीकृति दिनांक 21.02.2021 को

जारी की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त की गई स्वीकृति वन विभाग प्रदेश सरकार के आदेश दिनांक 6.01.2022 से जारी की गई है।

(4) बोर्ड की बैठक दिनांक 25.11.2021 में प्रस्तावित उप मण्डी के निर्माण के लिए प्रारम्भिक प्राक्कलन मु0 7.20 करोड़ रूपये हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई और कार्य चरणबद्ध तरीके से करवाने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में मु0 2,13,10,293 रू0 की लागत से भूमि विकास के कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है।